

भाग-II

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
प्रस्ताव का आनलाईन पंजीयन क्रं.-FP/CG/Others/154619/2022

क्र.	वांछित जानकारी	विवरण		
7.	परियोजना / स्कीम का स्थान :-			
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़ राज्य		
(ii)	जिला	जांजगीर-चांपा एवं सक्ती		
(iii)	वन प्रभाग	जांजगीर-चांपा वनमंडल		
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे.)	जांजगीर-चांपा एवं सक्ती जिले के जांजगीर-चांपा वनमंडल के अंतर्गत 3.9278 हे. संरक्षित वनभूमि एवं 0.8776 हे0 राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड. का जंगल)		
(v)	वन की कानूनी स्थिति	आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-		
		क्रमांक	विवरण	रकबा (हे.)
		1	PF - 110	1.4446
		2	PF - 109	2.0649
		3	PF - 95	0.4183
		4	राजस्व वनभूमि	0.8776
		योग		4.8054
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.6		
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर. एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किए जाए ।	आवश्यकता नहीं है।		
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी ।	आवश्यकता नहीं है।		

(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी ।	आवेदित वनभूमि वनक्षेत्र के अंदर ही है।
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर आदि का भाग है । (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबंधित की जाए)	आवेदित क्षेत्र में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमंडल रिजर्व बाघ, रिजर्व हाथी कोरीडोर नहीं है। वर्तमान में यह प्रस्तावित नहीं है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है, यदि हां/ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	आवेदित क्षेत्र में कोई वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां नहीं पाई जाती है।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/ पारम्परिक स्थल /प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें ।	कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/ पारम्परिक स्थल /प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित नहीं है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो, जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें ।	आवश्यकता नहीं है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अब चल रहे हैं।	नहीं हुआ है ।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम खैरागढ़ वनमंडल द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/ अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार ।	
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वन क्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।	
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि ।	
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय ।	

(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	
12.	विभाग / जिला प्रोफाइल	जांजगीर चांपा
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	446674.000 हे.
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	जांजगीर-चांपा वनमंडल का वनक्षेत्र :- 250006.600 हे.
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।	232.894 हे.
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक :	
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि ।	868.04 हे.
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	166.284 हे.
(v)	31.12.2022 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :	
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि ।	853.000 हे.
	(ख) वनेत्तर भूमि पर ।	50.000 हे.
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश ।	प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने के कार्य से संबंधित प्रकरण को स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक 06/02/2023


 वनमंडल अधिकारी
 जांजगीर-चांपा वनमंडल
 (डी० के० पटेल)

सी० व० से०